**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग**

**राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2275**

**06 दिसम्बर, 2016 को उत्तर के लिए**

**समान रैंक समान पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) योजना के कार्यान्वयन की व्यापक योजना**

**2275. श्री रोनाल्ड सपा लाउ :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समान रैंक समान पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने की सरकार की व्यापक योजना कौन सी है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंसतोषजनक कार्यान्वयन के कारण स्थिति के और अधिक बिगड़ने की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख) : सरकार ने रक्षा बल कार्मिकों हेतु समान रैंक समान पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) के कार्यान्वयन हेतु 7.11.2015 को आदेश जारी और इस संबंध में सारणियों के साथ विस्तृत हिदायतें 03 फरवरी, 2016 को जारी की गईं ।

 25.11.2016 की स्थिति के अनुसार, समान रैंक समान पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) लाभों के कार्यान्वयन की मद में रक्षा सेना पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को किए गए भुगतान की स्थिति निम्नवत है :-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **भुगतान किए गए मामलों की संख्या (प्रथम किस्त एवं एकमुश्त भुगतान)** | **संवितरित की गई राशि (करोड़ रुपए में)** | **दूसरी किस्त का भुगतान किए गए मामलों की संख्या** | **संवितरित की गई राशि (करोड़ रुपए में)** |
| 1957925 | 3984.76 | 1541316 | 2267.71 |

(ग) और (घ) : ओ.आर.ओ.पी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों, यदि कोई हों, को देखने हेतु पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति गठित की गई थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट 26.10.2016 को सौंप दी है ।

 विभाग के पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ में ओआरओपी लाभों के प्राप्त नहीं होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और वह उनकी शिकायतों के समयबद्ध तरीके से निवारण हेतु संबंधित कार्यालयों अर्थात रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) के साथ मामलों पर कार्रवाई कर रहा है । सेना मुख्यालयों और सीजीडीए में भी भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिए समर्पित शिकायत निदेशालय/प्रकोष्ठ है । शिकायतों के निपटान को सरकार में उच्चतम स्तर पर मॉनीटर किया जाता है ।

\*\*\*